



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर द्वारा सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत एलीफेंट रिजर्व, अंबिकापुर में "भारतनेट फेस-2" अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ-वे में आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 1.462 हे. (आरक्षित वन रकबा 0.431 हे., संरक्षित वन रकबा 0.992 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.039 हे.) भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के अभिमत से सहमत होते हुए आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 1.462 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 07/08/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(⁶ श्रीनिवास राव) 7/8/23.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर